


२१  $\frac{4}{26}$

पत्रावली पेशा वकीलवादी हाजिर । वकीलवादी  
ने निवेदन किया कि वादी की मृत्यु हो चुकी है  
तथा वकीलान मेरे सम्पर्क में नहीं हैं, अतः

नोट प्रेष के आधार पर वाद खानि किया जावे

अतः वकीलवादी के निवेदन पर वादी का वाद  
नोट प्रेष के आधार पर खानि किया जावे

पत्रावली फॉल्यु शुमार होकर नम्बर ११ का

होकर दाखिल हस्तगर्षी 

उपखण्ड अधिकारी  
दातारामगढ़